क्रम-संख्या--780

रजिस्टर्ड नं० एन० ई०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर, 1986

मार्ग शीर्ष 13, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2005/सत्रह-वि-1--1 (क)--11-1986

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 28 नवम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय अध्याय चार जो 20 अगस्त, 1982 को प्रवृत्त हुआ माना जायगा ।

अध्याय—दो

यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 33—क का संशोधन

2—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 33—क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के उपबन्ध—

(एक) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार स्वीकार किया गया है या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकारवाला भूमिधर, या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है,

(दो) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किये गये भूमि के प्रत्येक बन्दोबस्त के,

सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122—ख में, उपधारा (4—च) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4—च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1985 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, और यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकारवाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है ।"

धारा 122—ग का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 122—ग में,—

(एक) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 333" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 333 और धारा 333—क" रख दिये जायेंगे,

(दो) उपधारा (8) निकाल दी जायगी ।

धारा 122—घ का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 122—ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

प्रदेशन गृहीताओं को कब्जा दिया जाना

"122—घ—(1) जहां धारा 122—ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भूमि गृह-निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय और प्रदेशनगृहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन हो, वहां असिस्टेन्ट कलक्टर, प्रदेशनगृहीता के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग, जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि--

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके है, और

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए, अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।"

धारा 123 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 123 में,--

(1) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "24 मई, 1971" के स्थान पर, शब्द और अंक "30 जून, 1985" रख दिये जायेंगे,

(2) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण में शब्द और अंक "15 मार्च, 1974" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1985" रख दिये जायेंगे ।

धारा 129 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 129 में, खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :--

"(4) सरकारी पट्टेदार ।"

धारा 131 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 131 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(घ) 1 जुलाई, 1981 से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 26-क या धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जाय या किया गया है ।"

धारा 142 का प्रतिस्थापन

9--मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"142--(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और उसका किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा ।

भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और

ऐसी भूमि का कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन, वृक्षवृद्ध पालन और सामाजिक वानिकी भी है, से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा ।"

धारा 143 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 143 में,—

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे,

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 198 में उपधारा (6) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198-क का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 198-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात् :—

"198-क (1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 195 के अधीन किसी भूमि के असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 197 के अधीन किसी भूमि के असामी के रूप में स्वीकार किया जाय (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में प्रदेशनग्रहीता कहा गया है) या जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उठाई जाय (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में पट्टेदार कहा गया है) और प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, वहां असिस्टेन्ट कलक्टर, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

गांव सभा के प्रदेशनग्रहीताओं या सरकारी पट्टेदार को कब्जा दिया जाना

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनःअध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके है, और

(ख) यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है,

वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और, यथास्थिति, प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराध पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 का संशोधन

13--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-- **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982 की धारा 28 का संशोधन**

"28--सन्देहों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-दो, तीन, चार, पांच, छः और सात में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित ऐसी अधिनियमितियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।" (वैधीकरण)

14--मूल अधिनियम में, धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी अर्थात् :-- **अनुसूची का बढ़ाया जाना**

अनुसूची

(धारा 28 देखिये)

1--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1981),

2--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1981),

3--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1982),

4--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1982)

अध्याय पांच

जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

15--जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-- **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1956 की धारा 31 का संशोधन**

"(घ) सरकारी पट्टेदार"

16--मूल अधिनियम की धारा 36 में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे। **धारा 36 का संशोधन**

अध्याय छः

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

17--कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 42 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :-- **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1960 की धारा 42 का संशोधन**

"(घ) सरकारी पट्टेदार"

धारा 47 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे।

अध्याय सात

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 4-क का संशोधन

19--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4-क की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात् ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगी।"

अध्याय आठ

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 27 का संशोधन

20--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में; उपधारा (6) में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द और अंक "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी पश्चात्-वर्ती हो", रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।